न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

इविक्सन अपील वाद सं0–01/2023–24

लखीचन्द हांसदा वगैरह
बनाम
शामलाल किस्कू

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपील वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–37/2021–22 में दिनांक 07.02.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्तागण के द्वारा दाखिल किया गया है। अपीलकर्त्तागण के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में वर्णित वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए वर्णित वाद के विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे जाने हेतु सूचना निर्गत किया गया। साथ ही साथ निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ। वर्णित वाद के विपक्षी अपने मनोनीत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया। तदोपरान्त दिनांक 27.12.2024 को उभय पक्षों के मनोनीत अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत अंतिम तर्क को सुनकर वर्णित वाद अन्तिम आदेश हेतु निर्धारित किया गया।

वाद का मूल विषय बिन्दु यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा अपने न्यायालय के आर0ई0आर0वाद सं0– 37/2021–22 में दिनांक 07.02.2023 को आदेश पारित कर विपक्षी को (वर्णित वाद के अपीलकर्त्ता) अंचल लिट्टीपाड़ा अन्तर्गत मौजा–नवाडीह जमाबन्दी सं0–11 की भूमि से उच्छेंद किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलकर्त्ता का यह अपील आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का सूना एवं उनके द्वारा दाखिल अपील आवेदन पत्र का अवलोकन किया। इनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा आर0ई0आर0 के माध्यम से पारित आदेश न्यायोचित नहीं है। मौजा–नवाडीह जमाबन्दी सं0–11 की भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी, लिट्टीपाड़ा के पत्रांक–302/रा0, दिनांक–19.06.2021 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में दण्ड

लगातार.....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के अंतर्गत क्रि0मिस0 वाद सं0–340/21 (शामलाल किस्कू बनाम लुखीचॉन्द हॉसदा वगैरह) दर्ज हुआ एवं उक्त वाद में अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 में निहित प्रावधान के विपरित क्रि0मिस0 वाद सं0–340/21 (शामलाल किस्कू बनाम लुखीचॉन्द हॉसदा वगैरह) में दिनांक–01.10.2024 को आदेश पारित कर उच्छेदी वाद प्रारम्भ किया गया एवं अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय से आर0ई0आर0 वाद सं0–37/21–22 पंजीकृत होते हुए आदेश पारित किया जाना नियमानुकूल नहीं है। इनके द्वारा कहा गया है कि अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत् अपने न्यायालय के अंतर्गत दर्ज को परिवर्तित किये जाने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु उनके द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निहित प्रावधान के तहत् वाद को आर0ई0आर0 वाद में परिवर्तित किया गया। इनके द्वारा आगे यह भी कहा गया है कि अंचल लिट्टीपाड़ा अन्तर्गत मौजा–नवाडीह जमाबन्दी सं0–11 के अन्तर्गत कुल रकवा–32–17–11 धुर भूमि अन्तिम सर्वे खतियान में खतियानी रैयत गुमदा किस्कू, पिता–समदा किस्कू के नाम पर दर्ज है। गुमदा किस्कू के पुत्र गुमाई किस्कू एवं समदा किस्कू हुए जिनके द्वारा पिता–गुमदा किस्कू मृत्यु के उपरान्त जमाबन्दी सं0–11 के अन्तर्गत की भूमि के आधे–आधे हिस्से का शान्तिपूर्ण ढंग से भोग–दखल किया गया। गुमाई किस्कू के दो पुत्र छोटराई किस्कू एवं फुदन किस्कू हुए। फुदन किस्कू के पुत्र बाबुराम किस्कू हुए जिसकी नाबल्द मृत्यु हो गयी। बाबुराम किस्कू के नाबल्द मृत्यु होने के पश्चात छोटराई किस्कू के द्वारा पिता–गुमाई किस्कू के हिस्से में जमाबन्दी सं0–11 के अन्तर्गत प्राप्त सम्पूर्ण भूमि का भोग–दखल किया गया। छोंटराई किस्कू के एक पुत्री मसी किस्कू उर्फ हरि किस्कू हुई जिसकी शादी छोटराई किस्कू के द्वारा ग्राम–रांगा निवासी पाण्डू हांसदा के साथ घरजमाई तरीके से कराया गया। इनका कहना है कि मसी किस्कू उर्फ हरि किस्कू एवं पाण्डु हांसदा को छः (06) पुत्र हुए, जिसमें से होपना हांसदा एवं होपनबाबु हांसदा की नाबल्द मृत्यु हो गयी। मदन हांसदा की शादी घरजमाई तरीके से ग्राम जोगेश्वर में सम्पन्न हुई। चरण हांसदा एवं बाबुलाल हांसदा दूसरे गांव में निवास करने लगे तथा अन्तिम पुत्र गुमाई हांसदा के द्वारा ग्राम नवाडीह में निवास करते हुए जमाबन्दी सं0–11 के अन्तर्गत की भूमि का लगान भुगतान करते हुए भोग– दखल किया गया। गुमाई हांसदा के चार पुत्र हुए जो वर्णित वाद के अपीलकर्त्तागण है। इनका कहना है कि उभय पक्षों का एक ही जमाबन्दी लगातार.....	

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
3	2	3

सं0–11 से संबंधित होने के कारण अपीलकर्त्ता का जमाबन्दी सं0–11 के अन्तर्गत की भूमि पर दखल भोग किया जाना अवैध दखल नहीं है। इस प्रकार संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्तागण के संबंध में अनुमान्य नहीं है। इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में पक्षकारों के बीच उत्पन्न विवाद का निपटरा किये जाने हेतु सिविल कोर्ट सक्षम न्यायालय है एवं इन सभी बातों की जानकारी निम्न न्यायालय को होते हुए भी अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा मौजा–नवाडीह के जमाबन्दी सं0–11 के अन्तर्गत की भूमि से विपक्षी (वर्णित वाद के अपीलकर्त्ता) को उच्छेद किये जाने का आदेश पारित किया जाना विधिमान्य नहीं है। इस हेतु इनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरकारी के विज्ञ अधिवक्ता का सुना एवं उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं कागजात का अवलोकन किया। इनका कहना है कि अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा उभय पक्ष के सहमति पर ही वाद विषय की सुनवाई आर0ई0आर0 वाद के माध्यम से की गई। इनके द्वारा कहा गया है कि अपीलकर्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में सुनवाई के क्रम में कभी भी आपत्ति नहीं की गयी एवं उनके विपरित आदेश पारित होने के पश्चात इस न्यायालय में अपीलकर्ता के द्वारा आपत्ति किया गया। इनका कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निहित प्रावधान का अनुपालन करते हुए किया गया है। अपीलकर्त्ता मौजा–नवाडीह जमाबन्दी सं0–11 से संबंधित नहीं है। मौजा–नवाडीह जमाबन्दी सं0–11 के खतियानी रैयत
गुमदा किस्कू के पुत्र गुमाई किस्कू हुए एवं गुमाई किस्कू के पुत्र छोटराई किस्कू हुए। छोटराई किस्कू ने अपनी पुत्री मसी किस्कू उर्फ हरि किस्कू की शादी संथाल रीति रिवाज के अनुसार साधारण तरीके से सम्पन्न कराया, जिसके उपरान्त वे अपने ससुसराल में बसोवास करने लगी। इनके द्वारा संथाल रीति रिवाज का हवाला देते हुए कहा गया कि यदि किसी पुत्री की शादी संथाल रीति–रिवाज अनुसार साधारण तरीके से सम्पन्न कराया जाता है तो उक्त पुत्री का उनके पैतृक भूमि से अधिकार समाप्त हो जाता है एवं पुत्री का अधिकार अपने पिता की भूमि पर तभी रहता है जब उक्त पुत्री की शादी घरजमाई तरीके से संथाल रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न करायी गयी हो। इनका यह भी कहना है कि खतियानी रैयत छोटराई किस्कू के द्वारा अपनी पुत्री मसी किस्कू की शादी ग्राम रांगा के जमाबन्दी सं0–05

लगातार.....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

के निवासी पाण्डु हांसदा के साथ संथाल रीति–रिवाज के अनुसार साधारण तरीके से सम्पन्न करायी गयी है तो उनके वंशजों का मौजा–नवाडीह सं0–42 जमाबन्दी सं0–11 की भूमि को भोग–दखल किया जाना संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निहित प्रावधान का उल्लंघन है एवं इसी आधार पर विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा विपक्षीगणों को मौजा–नवाडीह जमाबन्दी सं0–11 से संबंधित भूमि से उच्छेद किये जाने का विधिमान्य आदेश पारित किया गया है। इस हेतु इनके द्वारा अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।"

उभय पक्षों के मनोनीत अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्क को विस्तारपूर्वक सुना एवं अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन, आवेदन के साथ संलग्न कागजात, उत्तरकारी के लिखित अभिकथन, समर्पित कागजात के साथ–साथ निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। वर्णित वाद में प्रथम विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित प्रावधान के अंतर्गत उनके न्यायालय में दर्ज वाद को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निहित प्रावधान के तहत परिवर्तित कर उच्छेदी वाद प्रारम्भ किये जाने का अधिकार प्राप्त है ? द्वितीय बिन्दु के रूप में वाद का मूल विषय बिन्दु यह है कि क्या छोटराई किस्कू ने अपनी पुत्री मसी किस्कू उर्फ हरि किस्कू की शादी संथाल रीति–रिवाज के अनुसार घरजमाई तरीके से सम्पन्न करायी अथवा साधारण तरीके से। इस संबंध में अपीलकर्त्ता के द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया है कि संथाल रिति रिवाज के अनुसार समाज में यह प्रथा है कि यदि किसी रैयत को वंश आधारित एक मात्र पुत्री ही होती है तो उनके पिता के द्वारा अपनी पुत्री की शादी घरजमाई तरीके से सम्पन्न करायी जाती है एवं इस आधार पर ही खतियानी रैयत गुमदा किस्कू के पुत्र गुमाई किस्कु एवं गुमाई किस्कु के पुत्र छोटराई किस्कु ने अपनी एक मात्र पुत्री मसी किस्कु की शादी घरजमाई तरीके से पाण्डु हॉसदा के साथ सम्पन्न कराया एवं घरजमाई शादी के उपरांत मसी किस्कु एवं पाण्डु हॉसदा मौजा–नवाडीह, जमाबंदी सं0–11 से संबंधित होते हुए उनके वंशज जो वर्णित वाद में अपीलकर्तागण है, के द्वारा करीब 30 वर्षों से जमाबंदी सं0–11 की भूमि का भोग–दखल करते आ रहे हैं। इस संबंध में इनके द्वारा मसी किस्कु (पत्नी) एवं पाण्डु हॉसदा (पति) के पुत्र एवं उनके वंशज का आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति समर्पित किया गया है, जिसमें उनका निवास स्थान नवाडीह, अंचल–लिट्टीपाड़ा उल्लेखित है, जिससे प्रतीत होता है कि मसी किस्कु की शादी घरजमाई

लगातार.....

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

तरीके से पाण्डु हॉसदा के साथ सम्पन्न हुई एवं विवाह के उपरांत वे मौजा–नवाडीह में निवास करने लगे एवं वर्तमान में उनके पुत्रगण जो वर्णित वाद के अपीलकर्तागण है, वे भी मौजा–नवाडीह में निवास करते हुए प्रश्नगत भूमि अर्थात मौजा–नवाडीह, जमाबंदी सं0–11 की भूमि का भोग–दखल करते आ रहे है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि उभय पक्ष मौजा–नवाडीह, जमाबंदी सं0–11 से संबंधित है एवं एक ही जमाबंदी से उभय पक्षों का संबंध होने के कारण आर0ई0आर0 वाद के माध्यम से उक्त जमाबंदी से संबंधित किसी एक पक्ष को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–42 के तहत् उच्छेद किया जाना नियमानुकूल नहीं है। **प्रश्नगत भूमि (मौजा–नवाडीह, जमाबंदी सं0–11) को लेकर पक्षकारों के मध्य भूमि के स्वत्वः (Title) से संबंधित विवाद है एवं स्वत्वः संबंधी विवाद का निपटारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय से संभव नही है। अतः वर्णित वाद के पक्षकार चाहे तो अपने स्वत्वः (Title) के निर्धारण हेतु सक्षम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं।**

अतएव प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–42 के तहत विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा पारित आदेश विधिमान्य प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ को अपने न्यायालय से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के अंतर्गत दर्ज वाद को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निहित प्रावधान के तहत उच्छेदी वाद में परिवर्तित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा आर0ई0आर0 वाद सं0–37/21–22 में दिनांक 07.02.2023 को पारित आदेश त्रुटिपूर्ण पाते हुए निरस्त (Set-Aside) किया जाता है। तद्नुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति नियमानुसार कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के साथ–साथ अंचल अधिकारी, लिट्टीपाड़ा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

08/01/25

उपायुक्त,
पाकुड़।

08/01/25

उपायुक्त,
पाकुड़।

Digitally signed by MANISH KUMAR
Date: 2025.01.08 16:32:26 +05:30
Location: 10.93.52.22